निर्णय ब इंजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्याः 09/2021 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1.रामसिंह पलसानिया पुत्र श्री मोहन लाल जाट, निवासी साधना पैट्रोल पम्प के पास, एन.एच. 8, बाईपास, शाहपुरा, जिला जयपुर।

2.कमलेश कुमार पुत्र श्री कानाराम जाति जाट, निवासी ढाणी शिव सागर, वार्ड नम्बर 25, शाहपुरा, जिला जयपुर।

3.मोहन लाल जाट पुत्र स्व॰ श्री किशन लाल जाति जाट, निवासी ढाणी मेवा काला साधना पैट्रोल पम्प के पास, एन॰एच 8, बाईपास, शाहपुरा, जिला जयपुर।

4.केशर देवी पत्नी श्री मोहन लाल पलसानिया जरिये मुख्त्यारआम मोहन लाल जाट पुत्र स्व॰ श्री किशन लाल जाति जाट, निवासी ढाणी मेवा काला साधना पैट्रोल पम्प के पास, एन॰एच 8, बाईपास, शाहपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा बायो डीजल व ट्रेक्टर ट्रॉली को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. सहायक लोक अभियोजक विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रवीन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीण की ओर से।

निर्णय दिनांक 27.12.2021

1. माननीय अतिरिक्त शेषन न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर के प्रकरण संख्या फौजदारी अपील 04/2021(53/2021) एन॰एस॰वी॰ नं॰ 55/2021 उनवानी श्रीमती केशर देवी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11 नवम्बर 2021 से रिमाण्ड को प्राप्त होने पर उभय पक्ष सुना गया।
2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.09.2021 को अप्रार्थी 1 व 2 के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र बायो डीजल का अवैध भण्डारण एवं परिवहन करते पाये जाने से उनके कब्जे से जब्त बायो डीजल व उसके परिवहन में प्रयुक्त अप्रार्थी संख्या 3 मोहन लाल की पत्नी केशर देवी के नाम का ट्रेक्टर बिना नम्बरी मैसी फर्ग्युसन 1035 डी आई रंग लाल मय ट्रॉली को धारा 6–ए

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. माननीय अतिरिक्त शेषन न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर धारा 6 'ख' आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रवीन्द्र शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।
4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
5. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि श्री सुरेन्द्र सिंह कृष्णीयां आर पी एस वृत्ताधिकारी वृत शाहपुरा मय थानाधिकारी इत्तला पर देवन तिराहा कैर चौकी रोड पर एक प्लाट पर जांच की गई। जहां पर हरिओम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के मालिक श्री राम सिंह पलसानिया व कर्मचारी श्री कमलेश कुमार मौजूद मिले। मौके पर पुलिस जाब्ता को देख कर एक व्यक्ति भाग गया जिसका नाम रामसिंह सारण निवासी माधो का बास होना बताया जो इनके साथ ही काम करता है। बायो डीजल भी इन्होंने अपना बताया। जिनकी मौजूदगी में पूर्व से सुरक्षार्थ गोदाम व कमरे को खोल कर चैक किया गया तो गोदाम में 9 टंकी प्लास्टिक की जिनके चारों तरफ लोहे का जाल लगा हुआ है एवं जिनके बायो डीजल आने जाने के लिए प्लास्टिक के पाईप लगे हुये है। जिनमें एक टंकी में करीब 1000 लीटर बायो डीजल भरा हुआ है। बाकी 8 टंकी खाली है एवं पास में 12 प्लास्टिक की टंकी रखी हुई है, जिनमें भी डीजल आने जाने के लिए प्लास्टिक की पाईप लगी हुई है। जिनमें 8 टंकी में बायो डीजल भरा हुआ है। एक टंकी में करीब 1500 लीटर बायो डीजल है एवं चार टंकी खाली है एवं पास में ही 4 प्लास्टिक के ड्रम रंग हरा बायो डीजल के भरे हुये है, जिनमें करीब 1 ड्रम में 200 लीटर बायो डीजल भरा हुआ है। गोदाम में बायो डीजल भरने में काम में ली जाने वाली एक मोटर मय प्लास्टिक के पाईप लगे हुये है। तत्पश्चात गोदाम के पास एक कमरा जो पूर्व में सुरक्षित किया हुआ था, जिसका ताला खोल कर चैक किया गया तो कमरे में 30 ड्रम प्लास्टिक के रखे हुये है, जिनमें 7 ड्रम बायो डीजल के भरे हुये है। एक ड्रम में करीब 200 लीटर बायो डीजल भरा हुआ है, 23 ड्रम खाली है जिनका रंग नीला है। कुल 15200 लीटर बायो डीजल पाया गया। समस्त बायो डीजल एक ही प्रकार का होने के कारण सभी ड्रमों व टंकियों में से नमूना सैम्पल निकाल जा कर कांच की बोतल में सील्ड किया गया। तत्पश्चात रवाना होकर हरिओम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी एन एच 8 शाहपुरा पहुंचे। जहां पर ऑफिस के सामने दो प्लास्टिक की टंकी बायो डीजल की भरी हुई मिली। जिनमें एक टंकी में 900 लीटर एवं दूसरी टंकी में 600 लीटर बायो डीजल भरा हुआ है। प्लास्टिक की टंकी के लोहे के जाल लगा हुआ। आफिस के पास बने एक टीन शेड कमरे में 3 टंकी रखी हुई है। जिनमें लोहे का जाल लगा हुआ। एवं तीनों टंकियों के नीचे डीजल आने जाने की प्लास्टिक की पाईप लगी हुई है। 2 टंकियों में करीब 100–100 लीटर बायो डीजल भरा हुआ है। एक टंकी खाली है। कुल 1700 लीटर बायो डीजल भरा हुआ है। समस्त बायो डीजल एक ही प्रकार का होने के कारण सभी ड्रमों से नमूना सैम्पल लिया गया एवं शेष बायो डीजल जब्त किया गया। तत्श्चात रवाना हो कर थाना शाहपुरा पहुंचे। जहां पर पूर्व से सुरक्षार्थ खडे एक ट्रैक्टर बिना नम्बरी मैसी फर्ग्युसन 1035 डी आई रंग लाल मय ट्रॉली जिसमें दो प्लास्टिक की टंकी व 3 ड्रम रखे हुये है, जिनको चैक किया गया तो 2 प्लास्टिक की टंकी जिनके चारों तरफ लोहे का जाल लगा हुआ है। दोनों में 1000–1000 लीटर बायो डीजल भरा हुआ है व 3 ड्रमों में 200–200 लीटर बायो डीजल भरा हुआ

है एवं 2 मोटर जिनके पाईप लगा हुआ है। इस प्रकार कुल 2600 लीटर बायो डीजल भरा हुआ है। जिसका नमूना सैम्पल लिया जा कर शेष डीजल को जब्त किया गया। बायो डीजल स्वयं का बताने वाले रामसिंह पलसानिया व कमलेश कुमार जाट से उक्त बायो डीजल अपने कब्जे में रखने, बेचने व परिवहन के सम्बन्ध में वैध अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स के बारे में पूछताछ की गई तो कोई अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स नहीं होना बताया। इस प्रकार उक्त शख्सों के द्वारा बिना अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स के ज्वलनशील पदार्थ को अपने कब्जे में रखना व व्यापार करना जुर्म 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पाया गया। बायो डीजल के नमूना सैम्पल लेकर शेष बायो डीजल को बतौर वजह सबूत जब्त कर किया गया । उक्त बायो डीजल व बायो डीजल के परिवहन करने में प्रयुक्त किया जाने वाला ट्रेक्टर ट्रॉली बिना नम्बरी व अन्य सामान को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। अतः जब्त शुदा बायो डीजल, ट्रेक्टर ट्रॉली व अन्य सामान का धारा 6–ए के तहत राजसात (Confiscate) करने का आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। पुलिस रिपोर्ट में टैक्ट्रर ट्राली को पुलिस थाना पर पूर्व से सुरक्षार्थ खडे होने की स्थिति में जब्त किया गया है, जबकि पैट्रोलियम उत्पाद आदेश 1999 का गलत निर्वचन किया है। क्योंकि उक्त आदेश के अनुसार किसी वाहन को तभी जब्त किया जा सकता है जब उसे पैट्रोलियम प्रोडक्ट के ट्रान्सपोर्ट हेतु प्रयोग में लिया जा रहा हो तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ट्रैक्टर ट्रोली को पैट्रोलियम प्रोडेक्ट के ट्रान्सपोर्ट हेतु प्रयोग में लिये जाने की कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है। ना ही परिवादी की रिपोर्ट से साबित होता है कि उक्त ट्रैक्टर ट्रोली में पैट्रोलियम परिवहन किए जा रहे थे । अप्रार्थी काश्तकार है तथा उसने अपने कृषि कार्यो हेतु उक्त ट्रैक्टर ट्रोली की दिन प्रति दिन आवश्यकता पडती है। अतः ट्रेक्टर ट्रॉली को रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी हरिओम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का संचालन करता है प्रार्थी व उसके पुत्र सुमित के नाम ट्रक ट्रेलर है जिसके संचालन के लिए जरिये जी एस टी बिल द्वारा ईधन तेल बायो डीजल खरीद किया गया था प्रार्थी द्वारा अवैद्य खरीद शुदा बायो डीजल का भण्डारण एवं परिहवन नही किया जा रहा था । डीजल की कीमत चरम पर है वर्तमान में मंहगाई बढ जाने के कारण प्रार्थी को ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय में काफी घाटा लग रहा है। उक्त जब्त शुदा बायो डीजल की प्रार्थी को वाहन संचालन मे ईधन तेल के लिए आवश्यकता है । उक्त बायो डीजल के रख रखाव की पुलिस थाना में उचित व्यवस्था नही है इसके कारण इसके नष्ट होने अथवा इसकी मात्रा में कमी होने की पूर्ण सम्भवना है जिससे प्रार्थी को नुकसान होगा तथा प्रकरण के अनुसंधान में एवं विचारण में काफी समय लगने की सम्भवना है। बायो डीजल प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश प्रदान करे।

7. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 13.09.2021 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाना शाहपुरा मे पूर्व से सुरक्षार्थ खडा एक ट्रैक्टर मय ट्रोली बिना नम्बरी मैसी फर्ग्यूसन 1035 डी आई रंग लाल मय ट्रोली बायो डीजल से भरा हुआ जब्त किये जाने का अंकन है, किन्तु प्रकरण में जब्त ट्रैक्टर ट्रोली कहां से पकडी, और थाने पर कैसे पहुँची इसका कोई उल्लेख नहीं है। ट्रैक्टर ट्रोली कृषि के उपयोग में आने वाले साधन है अतः सन्देह का लाभ दिया जाकर प्रकरण में जब्त टैक्टर को रिलीज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

कलक्टर
जयपुर

9. श्री सुरेन्द्र सिंह कृष्णीया आर पी एस वृत्ताधिकारी शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के द्वारा दिनांक 13.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे से पृथक–पृथक स्थान से 15200 लीटर, 1700 लीटर एवं 2600 लीटर बायो डीजल जब्त किया गया है। इतनी बडी मात्रा में बायो डीजल का क्रय–विक्रय करने एवं भण्डारण करने के लिए अप्रार्थीगण ने किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोई अनुज्ञापत्र पेश नहीं किया। केन्द्र सरकार पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रख रखाव) आदेश 1999 के तहत एक समय में किसी एक ग्राहक द्वारा 2500 लीटर से अधिक पैट्रोल/डीजल का भण्डारण व परिवहन नहीं किया जा सकता है,। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे से पृथक–पृथक स्थान से 15200 लीटर, 1700 लीटर एवं 2600 लीटर बायो डीजल पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा एक समय में निर्धारित मात्रा से अधिक बायो डीजल का अवैद्य भण्डारण किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है। जिसमें अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की बदनीयती एवं आपराधिक मनःस्थिति (Mens Rea) सिद्ध होती है। अतः हम जब्तशुदा बायो डीजल को राजसात किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे से जब्त समस्त बायो डीजल को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा थानाधिकारी शाहपुरा एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 सरे इजलास सुनाया गया।

27/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर